# शिक्षा का अधिकार कानून और शिक्षकों के उत्तरदायित्व

मनोज कुमार गुप्ता*

*नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार विधेयक 2009 संपूर्ण देश में पहली अप्रैल 2010 को लागू हुआ। इस कानून से देश के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त हुआ है। लेकिन बच्चों का सीखना तभी संभव हो सकता है जब उन्हें शिक्षकों से आत्मीयतापूर्ण व्यवहार मिले, शिक्षण प्रक्रिया रोचक हो। शिक्षकों की प्रतिबद्धता ही बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्ति की ओर ले जाएगी। प्रस्तुत लेख शिक्षा का अधिकार कानून और शिक्षकों के उत्तरदायित्वों पर आधारित है।*

नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार विधेयक 2009 पूरे भारत में 1 अप्रैल 2010 से लागू हो चुका है। यह एक ऐसा कानून है जिससे विकासशील भारत के आगत भविष्य में व्यापक, लाभदायी और परिवर्तनशील परिणाम होंगे। यह कानून प्राथमिक शिक्षा में कक्षा 1 से 8 और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था सभी विद्यालय में उपलब्ध करवाता है। जिस प्रकार आर.टी.आई. (सूचना का अधिकार) के व्यापक परिणाम हमारे सामने हैं, जिससे प्रशासन में काफ़ी हद तक पारदर्शिता आयी है ठीक उसी तरह देश की समृद्धि तथा विकास के लिए संपूर्ण साक्षर भारत के सपने को यह पूरा करने वाला साबित होगा।

**प्रमुख मुद्दे एवं संबंधित धाराएँ –**

- 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को आस-पास के स्कूलों में प्रारंभिक शिक्षा मिलेगी, जिसके लिए उन्हें एक भी पैसा नहीं खर्चा करना होगा। (धारा 3)
- कभी स्कूल से न जुड़े बच्चों या बीच में पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार कक्षा में प्रवेश मिलेगा। यानि कोई बालिका यदि 8 वर्ष की है तो उसे कक्षा 3 में प्रवेश मिलेगा। ऐसे में सीधे प्रवेश के कारण प्रवेशित बालिका को कक्षा के अन्य बच्चों के समान स्तर पर लाने के लिए तय प्रक्रियान्तर्गत विशेष प्रशिक्षण/सहायता दी जाएगी। (धारा 4)

**व्याख्याता*, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गाडरवाड़ा, नूरजी झालावाड़ा, राजस्थान।

- केंद्र सरकार शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मानक विकसित कर उन्हें लागू करेगी। (धारा 7)
- LKG, UKG, Prep सहित प्राथमिक कक्षाओं में समस्त प्राइवेट विद्यालयों को 25 प्रतिशत स्थान उन बच्चों के लिए सुरक्षित रखने होंगे जो कमजोर एवं पिछड़े वर्ग से हैं। (धारा 12)
- प्रवेश के समय किसी भी प्रकार की प्रवेश परीक्षा नहीं होगी। (धारा 13)
- कोई भी बच्चा न तो फेल होगा, न ही किसी कारण से स्कूल से निकाला जाएगा। (धारा 16)
- बच्चों के साथ मारपीट या अपमानजनक शब्दों से संबोधन नहीं। (धारा 17)
- बोर्ड परीक्षा कक्षा 8 तक नहीं। (धारा 30)

**शिक्षकों के उत्तरदायित्व –**

आर.टी.ई. लागू होने के बाद निश्चित रूप से शिक्षक वर्ग के उत्तरदायित्व बढ़े हैं, ज़िम्मेदारियाँ व काम करने के तरीकों में कानूनी बाध्यताएँ बढ़ी हैं। यदि शिक्षक नियमानुरूप अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन समुचित रूप से नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ़ कार्यवाही अभिप्रस्तावित हैं। शिक्षक को अपने पारंपरिक ढर्रे से अलग तय मापदंडों के अनुसार बच्चों के हित में काम करना ही होगा। सिर्फ़ पढ़ाना पर्याप्त नहीं है। पढ़ाने के तरीके रोचक, गतिविधि आधारित, बच्चों को अधिकाधिक चिंतन, सूझ, कल्पना, अनुभव आदि के अवसर देने वाले होने चाहिए। हर बच्चों की प्रगति का ब्यौरा सतत् और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत रखा जाना अपेक्षित है। नियत समय पर बच्चे का सीखना सुनिश्चित करना होगा। तय समय पर पाठ्यक्रम पूरा करना है। आर.टी.ई. 2009 अधिनियम के अनुसार अब शिक्षकों के कतिपय मुख्य उत्तरदायित्व इस प्रकार से होंगे –

- शिक्षक को प्रति सप्ताह न्यूनतम 45 शिक्षण घंटे विद्यालय में देने होंगे, जिसमें तैयारी के घंटे भी हैं।
- प्रभारी शिक्षक को अविलंब अन्य विद्यालय में प्रवेश चाहने वाले बच्चे को स्थानांतरण प्रमाण-पत्र जारी करना होगा। टी.सी. प्रस्तुति में विलम्ब के कारण प्रवेश देने से मना नहीं किया जाएगा। (धारा 5)
- बच्चा किसी भी कारण से फेल या निष्कासित नहीं होगा, अर्थात् यदि बच्चे नियमित रूप से स्कूल आते हैं तो उनको सीखना ही होगा। (धारा 16)
- बच्चों के साथ मारपीट व अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं, अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही। (धारा 17)
- स्कूल में नियमित आकर समय का पालन करना, पाठ्यक्रम संचालित करना और उसे तय समय में पूरा करना होगा। प्रत्येक बच्चे के पढ़ने के स्तर और उसकी गति को जाँचकर उसका वैयक्तिक अभिलेख संधारित करना होगा। इसी ब्यौरे या पोर्टफोलियो के आधार पर शिक्षण योजना तैयार करके पढ़ाना होगा। आवश्यकता हो तो अतिरिक्त कक्षाएँ लेनी होगी। (धारा 24) इसी धारा में यह भी उल्लेख है कि यदि शिक्षक

प्रदत्त कार्य नहीं करता है तो कार्यवाही होगी। लेकिन कार्यवाही से पूर्व शिक्षक/शिक्षिका को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।

- पाठ्यक्रम व मूल्यांकन प्रक्रिया ऐसी होगी जो संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप हो, बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, और बच्चों में ज्ञान का, और योग्यता का निर्माण हो, बच्चे की मानसिक व शारीरिक क्षमता के विकास के अधिकाधिक अवसर हों, सीखने-सिखाने की प्रक्रियें बच्चों के अनुरूप एवं गतिविधि पर आधारित हों, बच्चों की खोजने की प्रवृत्ति बढ़ाने वाली हों, स्कूली वातावरण भयमुक्त हों ताकि बच्चे स्वयं सोच-विचार कर निर्णय ले सकें। बच्चों के सीखने और समझने का व्यापक एवं सतत् आकलन शिक्षण प्रक्रिया के दौरान ही हो। ये सब दायित्व शिक्षक के साथ-साथ शैक्षिक अधिकारी व सरकारी संस्था के भी होंगे। (धारा 29)

**शिक्षकों के हित के मुद्दे –**

यह अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय बात है कि नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार एक ओर जहाँ शिक्षकों के उत्तरदायित्वों में अभिवृद्धि करता है वहीं दूसरी और कई मुद्दों पर उनका पक्ष लेते हुए हित की बात भी करता है। आइए जानें ऐसे ही कुछ मुद्दों को –

- अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए सतत् और व्यापक मूल्यांकन पर काम कर सकने के लिए शिक्षकों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा। (धारा-9) इसमें यह भी शामिल है कि धारा 4 के अनुरूप आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश दिए गए बच्चे को अन्य बच्चों के समान स्तर पर लाने के लिए विशेष प्रशिक्षण या प्रक्रिया सुविधा दी जाएगी।
- कुल स्वीकृत पदों में से 10 प्रतिशत से ज़्यादा पद रिक्त नहीं रखे जा सकते हैं। (धारा 26)
- किसी भी शिक्षक को दस वर्षीय जनसंख्या, जनगणना, आपदा राहत कार्य, पंचायती राज संस्थाओं, स्थानीय निकायों, विधान मंडलों, विधान सभा और संसदीय चुनावों से जुड़े कार्यों के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं दिया जाएगा।
- शिक्षक की समस्याओं को तय विधि से दूर किया जाएगा। (धारा 24)
- सरकार विद्यालय भवन, शिक्षक व शिक्षण अधिगम सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। (धारा 8)

**शिक्षा का अधिकार कानून तथा प्राथमिक शिक्षा संसार –** निकट भविष्य में नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा विधेयक के अनेक परिणाम सामने आने वाले हैं। इस परिवर्तित नए शिक्षा संसार की झलक कुछ-कुछ अभी से दिखायी देने लगी है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय व विविध राज्यों के शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की योजनाओं पर, सतत् और व्यापक मूल्यांकन पर गहराई से कार्य कर रहे हैं। राष्ट्र व राज्य स्तर पर शिक्षाविदों की कार्यशालाएँ आयोजित हो रही

हैं। सरकारी संस्थाएँ मिलकर तेज़ी से विचार मंथन कर सतत् और व्यापक मूल्यांकन पर पायलट प्रोजेक्ट चला रही हैं। 8वीं बोर्ड खत्म हो चुका है। प्रवेश परीक्षाएँ बंद हो गईं। सतत् एवं समग्र मूल्यांकन व बच्चों के वैयक्तिक अभिलेख संकलन या कार्ययोजना आदि के संकलन/संग्रह पर अनेक कार्ययोजनाएँ अभिप्रस्तावित हैं। विविध एन.जी.ओ. और शैक्षिक संगठन इस पर लगातार काम कर रहे हैं।

यह तय है कि शिक्षक वर्ग को अब बाल केंद्रित, गतिविधि आधारित इस प्रकार की शिक्षण प्रविधि अपनानी है जिससे बच्चे अपने जीवन जगत के अनुभवों से जुड़कर, चिंतन करते हुए अपने ज्ञान का निर्माण कर सकें। वस्तुतः शिक्षा का अधिकार कानून, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005 की भावनाओं को पूरा कर रहा है। शिक्षक के समक्ष चुनौती है लेकिन मुश्किल नहीं। कक्षा कक्ष में अब शिक्षक ज्ञान प्रदाता या ज्ञान गुरु न होकर सुविधाप्रदाता एवं मार्गदर्शक की भूमिका में होगा। बच्चों को अधिकाधिक अवसर देने हैं। हम कह सकते हैं कि शिक्षक यदि 30% सक्रिय रहेगा तो बच्चों को 70% सक्रिय रहने के अवसर देने होंगे।

आगत समय में शिक्षा के अधिकार कानून का प्रभाव यह भी होगा कि अभिभावक विद्यालय में आकर शिक्षक से यह जान सकता है कि उसके बच्चे ने कहाँ तक, कितना और क्या सीखा? उसके सीखने की गति क्या है? यदि वह सीख नहीं पा रहा है, उसमें सुधार नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं? बच्चे द्वारा विद्यालय में किए गए कार्य और मूल्यांकन प्रक्रिया को दिखाना/बताना होगा। हमें हमारी समग्र शिक्षण प्रक्रिया में पारदर्शिता अपनानी होगी।

उल्लेखनीय है कि इस अधिनियम के समस्त प्रावधान अभी पूरी तरह लागू नहीं हुए हैं। अभी 'पाइपलाइन' में हैं, प्रक्रियाधीन हैं। इसी विधेयक के विविध उपबंधों में यह अंतर्निहित है कि ये नियम 6 महीने से 5 साल के भीतर सरकार को विशेष प्रक्रियाओं से लागू करने होंगे। लेकिन यह तय है कि चाहे विद्यालय के मान हों या मानक अथवा शिक्षक-विद्यार्थियों के मान, सरकार को 5 साल के भीतर अर्थात् 31 मार्च 2015 तक समस्त नियमों को पूरी तरह लागू करना ही होगा। बहुत कुछ लागू हो चुका भी है और होने जा रहा है। देश को संपूर्ण साक्षर बनाने के लिए, शैक्षिक प्रोन्नयन के लिए, अधिगम प्रक्रियाओं को बच्चों के अनुरुप करने हेतु बच्चों में अंतर्निहित समस्त क्षमताओं के विकास हेतु, शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान है। यह तभी संभव हो सकता है, जब शिक्षक साथी अपने कर्त्तव्य का बखूबी पालन करें।

❑❑❑